**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1491**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**महिलाओं के विरूद्ध अपराध संबंधी कार्यबल/समिति**

**1491. श्री बी॰ लिंग्याह यादवः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं के विरूद्ध अपराध के संबंध में किसी कार्यबल/समिति का गठन किया है;**

**(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) न्यायमूर्ति जे॰एस॰ वर्मा समिति के प्रतिवेदन सहित कौन-कौन सी सिफारिशें प्राप्त/स्वीकृत/ कार्यान्वित की गई?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): इस उद्देश्‍य हेतु विशेष रूप से किसी कार्यबल/समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ग): न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमले अथवा आपराधिक बल के प्रयोग; घूरने; पीछा करने; और बलात्कार से संबंधित दांडिक कानूनों (भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) में पहले ही विभिन्न संशोधन किए हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसरण में, घरेलू नौकरों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के दायरे में शामिल किया गया था।

\*\*\*\*\*